जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, मुंगेर

श्री कुलदीप नारायण, जिला पदाधिकारी, मुंगेर की अध्यक्षता में दिनांक 18.08.12 को समाहरणालय सभागार में सम्पन्न इंदिरा आवास योजना की समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाहीः—

उपस्थितिः— उपस्थिति यथा पंजी में दर्ज।

सर्वप्रथम जिला पदाधिकारी द्वारा ग्रामीण विकास विभाग, पटना के पत्रांक 114588 दिनांक 23.07.12 द्वारा इंदिरा आवास के लाभार्थियों को द्वितीय किस्त के राशि की भुगतान हेतु विशेष अभियान चलाने के लिए कालबद्ध व्यवस्था संबंधी प्राप्त पत्र में निहित निदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आयोजित बैठक के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिला पदाधिकारी द्वारा उपस्थित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों एवं जिला के वसुधा केन्द्रों के भी0एल0ई0 को सम्बोधित करते हुए बताया गया कि इंदिरा आवास के लाभार्थियों को द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान सुगमतापूर्वक सुनिश्चित कराने हेतु विभाग द्वारा कालबद्ध प्रकिया की व्यवस्था की गई है। विशेष अभियान में वसुधा केन्द्र के भी0एल0ई0 को भी सम्बद्ध किया जाना है जिसके संबंध में विभागीय पत्र में विस्तृत निदेश का उल्लेख है। विभागीय पत्र में निहित निदेश से अवगत कराते हुए प्राप्त दिशा— निदेश के अनुपालन में विचार—विमर्श किया गया।

आज की बैठक में ग्रामीण विकास विभाग के प्रासंगिक पत्र में निहित निदेश के आलोक में निर्धारित कालबद्ध व्यवस्था के अन्तर्गत कर्णांकित कार्यों को करने के संबंध में आज की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में जिला पदाधिकारी, मुंगेर के द्वारा विन्दुवार निम्नप्रकार निदेश दिया गया।

1- विभागीय पत्र के आलोक में जिला स्तर पर पूर्व में आहूत बैठक में विभागीय निदेश से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को अवगत कराया जा चुका है एवं उन्हें प्रखंड स्तर पर कार्यरत पंचायतवार वसुधा केन्द्रों को चिन्हित करने एवं उनके साथ इस सन्दर्भ में बैठक कर विभागीय निदेश से अवगत कराने हेतु लिये गये निर्णय के आलोक में सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि वसुधा केन्द्र के भी0एल0ई0 के साथ प्रखंड स्तर पर बैठक आहूत की जा चुकी है एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उन्हें विभागीय निदेश से अवगत कराया जा चुका है। प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा इस संबंध में अवगत कराया गया कि उनके द्वारा कार्यरत वसुधा केन्द्र के साथ पंचायतों की सम्बद्धता भी की जा चुकी है। भौगोलिक दृष्टिकोण से कार्यरत वसुधा केन्द्र के साथ नजदीक के पंचायतों को इस कार्य हेतु सम्बद्ध किया जा चुका है।

2- जिला पदाधिकारी द्वारा आज की बैठक में उपस्थित भी0एल0ई0 को निदेश दिया गया कि वे विहित प्रपत्र में अपना बायो—डाटा फोटोग्राफ एवं आई0डी0 नं0 के साथ दिनांक 19.08.12 को संबंधित प्रखंड विकास पदा0 को सुर्पूद करेंगे एवं बायो—डाटा के साथ—साथ भी0एल0ई0 घोषणा भी बायो—डाटा में अंकित करेंगे कि उनका वसुधा केन्द्र अधिकृत है एवं इस कार्य हेतु उनके पास आवश्यक संसाधन है। सभी प्रखंड विकास पदा0 अपने प्रखंड के सभी वसुधा केन्द्र के भी0एल0ई0 से बायो—डाटा प्राप्त कर लेंगे एवं उसे रक्षी संचिका में सुरक्षित रखेंगे। दि0 19.08.12 को सभी प्रखंड विकास पदा0 कार्यरत सभी वसुधा केन्द्र के भी0एल0ई0 को उनके साथ पंचायत के सम्बद्धता संबंधी सूची भी उपलब्ध करा देंगे ताकि संबंधित वसुधा केन्द्र को भलीभांति यह जानकारी हो जाय कि उनके केन्द्र के साथ कौन—कौन पंचायत सम्बद्ध है।

3- ग्रामीण विकास विभाग के प्रासंगिक पत्र में निहित निदेश के आलोक में द्वितीय किस्त की सहायता राशि के भुगतान हेतु विशेष अभियान से संबंधित कालबद्ध व्यवस्था निम्नप्रकार निर्धारित करने हेतु निर्णय लिया गया हैः—

(i) **प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा वैसे लाभार्थियों की सूची जिन्हें प्रथम किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है तथा द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान किया जाना बाकी है, की सूची वसुधा केन्द्र को उपलब्ध कराया जाना (21.08.12 तक)** ।

विभागीय निदेश के आलोक में इस अवधि में निम्नलिखित कार्य सम्पन्न करने हेतु जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया गया—

- वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर के साथ आहूत बैठक की कार्यवाही को Google doc पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अपलोड करायेंगे।
- प्रथम चरण में प्रखंड द्वारा वर्ष 2009—10, 2010—11 एवं 2011—12 के लाभार्थी की सूची विहित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा एवं जिन्हें प्रथम किस्त का भुगतान किया जा चुका है, को विहित प्रपत्र में Google doc पर डी0 आर0 डी0 ए0 द्वारा अपलोड किया जाएगा।

  वित्तीय वर्ष 2009—10, 2010—11 एवं 2011—12 के शत—प्रतिशत फोटोग्राफी कराने के उपरांत द्वितीय चरण में Reverse Order में वर्षवार यथा 2008—09, 2007—08, एवं 2006—07 की सूची प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा विहित प्रपत्र में तैयार किया जाएगा, जिसके लिए अलग से आदेश निर्गत होगा।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी विहित प्रपत्र में लाभार्थियों की सूची वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर एवं डी0आर0डी0ए0 को उपलब्ध करायेंगे।
- प्रखंड विकास पदाधिकारी अभियान की सफलता हेतु व्यापक प्रचार—प्रसार करना सुनिश्चित करेंगे।
- फोटोग्राफी की तिथि दिनांक 23.08.12 से लेकर 06.09.12 तक निर्धारित की जाती है। प्रखंड विकास पदा0 पंचायतवार/राजस्व ग्रामवार/टोलावार एवं तिथिवार फोटोग्राफी की तिथि इसप्रकार निर्धारित करेंगे कि संबंधित पंचायत के सभी टोला, गाँव में दो चरणों में शत— प्रतिशत फोटोग्राफी सुनिश्चित हो सके।

(ii) **वसुधा केन्द्र द्वारा लाभुकों द्वारा कराये गये आवास निर्माण का फोटोग्राफी किया जाना (23.08.12 से लेकर 06.09.12 तक):—**

- फोटोग्राफी हेतु प्रखंड विकास पदा0 द्वारा पंचायतवार, राजस्ववार, मोहल्लावार फोटोग्राफी की तिथि निर्धारित कर वसुधा केन्द्र को उपलब्ध कराया जाएगा।
- फोटोग्राफी हेतु निर्धारित कार्यक्रम का भी व्यापक प्रचार—प्रसार संबंधित पंचायत के गाँव एवं टोला में कराना सभी प्रखंड विकास पदा0 सुनिश्चित करेंगे।
- फोटोग्राफी हेतु निर्धारित कार्यक्रम की एक प्रति विकास मित्र एवं स्थानीय जन प्रतिनिधियों को भी प्रखंड विकास पदा0 उपलब्ध करा देंगे।
- सभी विकास मित्र/ टोला सेवक को वसुधा केन्द्र के ऑपरेटर को फोटोग्राफी में सहयोग करने हेतु प्रखंड विकास पदा0 आदेश निर्गत करेंगे।
- निर्धारित तिथि को वसुधा केन्द्र के वी0एल0ई0 द्वारा संबंधित पंचायत के संबंधित राजस्व ग्राम/टोला में सुबह 10:00 बजे से लेकर संध्या तक फोटोग्राफी का कार्य सम्पन्न किया जाएगा।

- वसुधा केन्द्र द्वारा प्रत्येक आवास का फोटोग्राफ सम्वंधित लाभुक के साथ खिंचा जाएगा। लाभुक के पहचान हेतु प्रखंड विकास पदा0 द्वारा उपलब्ध कराया गया स्लेट पर लाभुक का नाम, बी0पी0एल0 संख्या/ पहचान संख्या अंकित कर वसुधा केन्द्र फोटोग्राफी करेंगे।
- वसुधा केन्द्र द्वारा प्रत्येक लाभुक का आवास के साथ एक फोटोग्राफ दूर से एवं एक नजदीक से लिया जाएगा ताकि लिये गये फोटोग्राफ के साथ–साथ बगल के घर एवं अन्य पहचान फोटोग्राफ में शामिल हो सके।
- वसुधा केन्द्र द्वारा फोटोग्राफ लेने के पश्चात सूची में लिये गये फोटोग्राफ का क्रम संख्या निश्चित रूप से अंकित करेंगे ताकि फोटो की पहचान सुनिश्चित हो सके।
- लाभुक का निर्मित आवास के साथ फोटो खिंचने के बाद विहित प्रपत्र में फोटो एवं सी0डी0 सहित निरीक्षण प्रतिवेदन वसुधा केन्द्र के निरीक्षणकर्त्ता के हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ प्रखंड विकास पदा0 को उपलब्ध कराया जाएगा।
- वसुधा केन्द्र के द्वारा सॉफ्ट कॉपी को फाइल के नाम तथा तिथि के साथ, जिसमें योजना संख्या, लाभुक का नाम तथा बी0पी0एल0 क्रमांक का उल्लेख हो, को प्रखंड विकास पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।
- फोटोग्राफी के लिए वसुधा केन्द्र को प्रत्येक कॉपी 7/– (सात रू0) प्रखंड द्वारा भुगतान होगा। फोटोग्राफी में विलम्ब होने की स्थिति में उनको दी जाने वाली राशि में 30 प्रतिशत की कटौती होगी। गलत फेटोग्राफी करने अथवा गलत सूचना दिये जाने पर संबंधित वसुधा केन्द्र के भी0एल0ई0 के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लेक लिस्टेड किया जाएगा।

(iii) **वसुधा केन्द्र द्वारा फोटोग्राफी के कार्य को रेन्डम जांच प्रखंड विकास पदा0 द्वारा करने एवं विभागीय निदेश के अनुरूप फोटोग्राफी सुनिश्चित कराया जाना (23.08.12 से 06.09.12 तक):–**

- वसुधा केन्द्र द्वारा किए जा रहे फोटोग्राफी कार्य की रेण्डम जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा।
- प्रखंड विकास पदा0 द्वारा प्रत्येक पंचायत के कम से कम 1 प्रतिशत आवास की जाचं स्वयं करने एवं अभिलेख तथा बैंक एडभाईस पर लाभुक के नाम के सामने "स्वयं जांचा" अंकित किया जाएगा (15.08.12 तक)
- यदि वसुधा केन्द्र द्वारा किये गये फोटोग्राफी एवं समर्पित प्रतिवेदन से भिन्न प्रतिवेदन पाये जाने की स्थिति में प्रखंड विकास पदा0 द्वारा स्वयं फोटोग्राफी कराया जाएगा (17.09.2012 तक)

(iv) **वसुधा केन्द्र द्वारा लिये गये फोटोग्राफी का सी0डी0/फोटो एवं निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने एवं उसकी जांच कराया जाना (दिनांक 13.09.12 तक) :–**

- वसुधा केन्द्र द्वारा लिये गये फोटोग्राफ का सीडी एवं फोटो तथा निरीक्षण प्रतिवेदन दि0 13.09.12 तक प्रखंड कार्यालय में जमा किया जाएगा।
- शत–प्रतिशत फोटोग्राफ के उपरांत फोटोग्राफ/सी0डी0 तथा निरीक्षण प्रतिवेदन पंचायतवार द्वारा जमा कराया जाएगा, जिसकी अंतिम तिथि 13.09.12 निर्धारित है।

(v) **प्रखंड विकास पदा0 द्वारा लाभुकों को द्वितीय किस्त की भुगतान हेतु स्वीकृति, एडभाईस तैयार कर बैंक भेजना (18.09.12 से लेकर 22.09.12 तक):–**

- दूसरे किस्त का भुगतान आवास निर्माण के निर्धारित लिंटल स्तर को पूर्ण करने के उपरान्त दिया जायेगा जो वसुधा केन्द्र के फोटो सहित प्रतिवेदन पर आधारित होगा।
- प्रखंड विकास पदा0 द्वारा जांच के पश्चात दिनांक 18.09.12 से लेकर 22.09.12 तक अभिलेख एवं एडभाईस तैयार किया जाना एवं संबंधित बैंकों को एडभाईस के माध्यम से राशि की भुगतान हेतु चेक भेजा जाना।
- स्वीकृति आदेश के अनुसार द्वितीय किस्त की राशि लाभुकों के बैंक खाता में एडभाईस के माध्यम से भेजी जायेगी तथा लाभुकों को इसकी सूचना दी जायेगी।
- इंदिरा आवास के लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय जाने अथवा किसी प्रकार के आवेदन देने की आवश्यकता नहीं होगी। इस संबंध में किसी भी प्रकार का आवेदन किसी भी स्तर पर किसी भी पदाधिकारी के द्वारा लेना वर्जित है।
- Work Flow में आवास सॉफ्ट का प्रयोग इस प्रकार किया जायेगा कि डाटा को अपलोड करना अनिवार्य हो अर्थात आवास सॉफ्ट पर फोटो अपलोड करने के पश्चात ही द्वितीय किस्त की राशि बैंकों में भेजी जायेगी। यह प्रक्रिया तब तक के लिये होगी जबतक कि बेल्ट्रान के द्वारा IAY Tracking System Software का निर्माण न कर लिया जाय।

(vi) **द्वितीय किस्त की भुगतान हेतु तिथि का निर्धारण (28 सितम्बर 2012):–**

- दिनांक 28.09.12 को प्रखंड स्तर पर शिविर आयोजित किया जाना एवं द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु शिविर का आयोजन एवं एडभाईस की प्रति लाभुकों को शिविर में उपलब्ध कराया जाना।

(vii) **वसुधा केन्द्र को पारिश्रमिक का भुगतान किया जाना (दि0 17.09.12 से 29.09.12 तक):–**

- प्रथम चरण में कराये गये फोटोग्राफी के आधार पर वसुधा केन्द्र को पारिश्रमिक का भुगतान प्रखंड विकास पदा0 द्वारा फोटो को MoRD के आवास साफ्ट पर अपलोड किये जाने के उपरान्त निर्धारित दर पर भुगतान किया जाएगा एव किये गये भुगतान की तिथि को Google doc पर अपलोड कराना प्रखंड विकास पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

4- **इंदिरा आवास के लाभार्थी को द्वितीय किस्त की राशि के भुगतान कार्य एक सतत प्रकिया :–**

जिला पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में बताया गया कि ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना के निदेशानुसार इंदिरा आवास के लाभार्थियों को द्वित्तीय किस्त के भुगतान संबंधी फोटोग्राफी सहित अन्य कार्य एक सतत् चलनेवाली प्रक्रिया है, जो लगातार चलेगा।

सतत् प्रक्रिया अंतर्गत प्रत्येक सोमवार को वसुधा केन्द्र के द्वारा लाभार्थियों का व्यौरा प्रतिवेदित किया जायेगा जिसके आधार पर प्रत्येक वृहस्पतिवार को लाभार्थियों के बैंक खाता में एड्वाइस के द्वारा राशि जमा की जायेगी एवं प्रत्येक शुक्रवार को वसुधा केन्द्र को पारिश्रमिक का भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक बृहस्पतिवार तक प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा फोटो को MoRD के आवास साफ्ट पर अपलोड किया जायेगा।

5. जिला पदाधिकारी द्वारा बैठक में स्पष्ट रूप से निदेश दिया गया कि फोटोग्राफी कार्य हेतु किसीप्रकार की राशि लाभुक से किसी स्तर पर नहीं लिया जाना है एवं द्वितीय किस्त की भुगतान के नाम पर यदि वसुधा केन्द्र अथवा किसी दलाल/विचौलिया द्वारा

किसीप्रकार की राशि संबंधित लाभुक से प्राप्त की जाती है तब जांचोपरान्त पुष्टि होने पर संबंधित के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सभी प्रखंड विकास पदा० को यह भी निदेश दिया गया कि इस आशय का व्यापक प्रचार–प्रसार प्रत्येक पंचायत के सभी राजस्व ग्राम/टोला में माईक द्वारा निश्चित रूप से करायें कि फोटोग्राफी हेतु निर्धारित तिथि को सभी लाभार्थी निर्माण किये गये अपने आवास के समक्ष अपना फोटोग्राफी निश्चित रूप से करायें। साथ ही लाभुकों के बीच प्रचार–प्रसार करेंगे कि उन्हें द्वितीय किस्त के भुगतान हेतु फोटोग्राफी सहित किसी अन्य कार्य के एवज में किसी को कोई राशि नही देना है, यदि इस प्रकार नाजायज ढंग से कोई राशि की मांग करें तो तुरंत अपने प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचना दें।

अन्त में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

20
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

20/08/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक– 430 ग्रा० मुंगेर, दिनांक– 20/08/12

प्रतिलिपिः– सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी वरीय उप समाहर्त्ता, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपिः– सभी अनुमंडल पदाधिकारी, मुंगेर जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

20/08/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।

ज्ञापांक– 430 ग्रा० मुंगेर, दिनांक– 20/08/12

प्रतिलिपिः– आयुक्त, मुंगेर प्रमंडल, मुंगेर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

20/08/12
जिला पदाधिकारी,
मुंगेर।